ालय उपखण्ड अधिकारी, किशनगंज, जिला बारां, राज0

पीठासीन अधिकारी चंदन दुबे (आर.ए.एस.)

सं0 66/16
दिनांक 19.07.2016
दिनांक 30.08.2019

बउनवान

1. तपन बनर्जी पुत्र दिलीप बनर्जी जाति बंगाली निवासी घटटी तहसील किशनगंज जिला बारां (राज0)

वादी

बनाम

1. राज0 सरकार जर्ये तहसीलदार किशनगंज जिला बारां (राज0)

प्रतिवादी

दावा अन्तर्गत धारा 88,89,90,91,92,188 आर.टी.एक्ट

निर्णय दिनांक :–30.08.2019

वादीगण की ओर से वाद–पत्र अन्तर्गत धारा 88,89,90,91,92,188 आर.टी.एक्ट मे भाषक श्री नरेश नागर ने इस आशय का पेश किया कि–

1. यह कि ग्राम घटटी उर्फ महतावपुरा तहसील किशनगंज बारां मे ख0न0 80/31 रकबा 11 बीघा भूमि स्थित है जिसमे से 8 बीघा 10 बिस्वा भूमि दक्षिणी ओर की विवादित है तथा इसे आगे विवादित भूमि के नाम से सम्बोधित किया जा रहा है।
2. यह कि विवादित भूमि वर्तमान जमाबन्दी मे सुखलाल मण्डल पुत्र लक्खीकान्त मण्डल की गैरखातेदारी मे कर्ज है।
3. यह कि सुखलाल मण्डल पुत्र लक्खीकान्त मण्डल के पिता का नाम नीलाम्बर मण्डल भी बोलते है तथा वर्तमान समय मे सुखलाल मण्डल पुत्र लक्खीकान्त मण्डल उर्फ नीलाम्बर मण्डल का कोई पता नही है तथा उसके जीवित होने की कोई संभावना नही है तथा उसके कोई वारिस भी मौजूद नही है।
4. यह कि विवादित भूमि सुखलाल मण्डल ने वादी को दिनांक 04.04.1978 को 5000/– अक्षरे पांच हजार रूपये मे जरिये रजिस्टर्ड बेचान नामे से बेचान करके कब्जा दे दिया था तभी से वादी इस भूमि पर काबिज चला आ रहा है जिसकी रजिस्ट्री सं0 120/78 है।
5. यह कि पूर्व मे सुखलाल मण्डल ने वादी के नाम उपरोक्त भूमि की रजिस्ट्री करवाने के बाद वह गांव छोडकर चला गया तथा वापस नही आया इस पर गांव वालो ने जिला कलेक्टर कोटा तत्कालीन को शिकायत की थी। सुखलाल मण्डल की

Signature Not Verified
Digitally signed by Gaurav Kumar Mittal
Date: 2020.12.22 16:59:36 IST
Reason: SelfAttested
Scanned with CamScanner

भूमि का फर्जी बेचान नामा वादी ने तैयार करवाया है इसकी जांच करवायी जावे इस तत्कालीन जिलाधीश कोटा ने पत्र क्रमांक 154 दिनांक 08.01.1981 को एक प्रथम सूचना पुलिस थाना किशनगंज मे दर्ज करवायी जो प्रथम सूचना सं0 11/81 अन्तर्गत धारा 406,420 आई0पी0सी0 मे दर्ज हुयी तथा 419,420,467,468,471,120(बी) आई0पी0सी0 मे आरोप पेश हुआ। इसका मुकदमा न्यायालय ए0सी0जे0एम0 वारां मे चला गया जो प्रकरण सं0 140/83 पर दर्ज हुआ तथा जिसका निर्णय दिनांक 29.05.1999 को सरकार बनाम तपन बनर्जी के नाम से हुआ, जिसमे वादी को बरी किया गया।

6. यह कि इससे पूर्व न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शाहबाद मे दो मुकदमे पत्रावली सं0 139/85 सुखलाल बनाम तपन बनर्जी व पत्रावली संख्या 142/85 तपन बनर्जी सुखलाल मण्डल चले जिसका निर्णय व डिक्री दिनांक 21.05.1994 को फैसला हुआ उसमे पक्षकारो के मध्य राजीनामा हुआ जिसकी प्रतियां पेश है।

7. यह कि इस प्रकार वर्तमान समय मे सुखलाल मण्डल का कोई पता नही है तथा उसका कोई वारिस भी मौजूद नही है तथा वादी रजिस्टर्ड बयनामा के आधार पर वादग्रस्त भूमि पर काबिज है व डिक्री व राजीनामा के आधार पर वादी इन भूमियों को अपने खाते दर्ज करवा पाने का अधिकारी एवं नालिशी है।

8. यह कि प्रतिवादी सुखलाल मण्डल के लापता होने से वादग्रस्त भूमि को लावारिस घोषित करना चाहता है तथा वादग्रस्त भूमि से वादी को बेदखल करना चाहते है, जिसका उनको कोई हक व अधिकार प्राप्त नही है। दिनांक 01.05.2016 को प्रतिवादी के विधिक प्रतिनिधि पटवारी हल्का ने वादी को धमकी दी कि तुम सुखलाल मण्डल की भूमि को जबरन काश्त कर रहे हो और यह भूमि गैरखातेदारी की है इसको मैं निरस्त करवाउगा तथा तुम्हे इस भूमियों से बेदखल करवाउगा। इस पर वादी दिनांक 06.05.2016 को प्रतिवादी के विधिक प्रतिनिधि जिला कलेक्टर वारां को नोटिस कानूनी धारा 80 जा0दी0 का अपने अधिवक्ता के जरिये दिलवाया जो उनको प्राप्त हो गया किन्तु उन्होने कोई सहायता नही पहुचाई। क्योकि इस प्रकरण मे राजस्थान सरकार भू धारक होने के कारण आवश्यक पक्षकार है तथा मियाद नोटिस समाप्त होने तक इन्तजार करना संभव नही है अतः धारा 80(2) सीपीसी का आवेदन पेश वाद पेश करने की अनुमति ले ली गयी है।

9. यह कि वादग्रस्त भूमियों पर वादी बहैसियत मालिक काबिज है किन्तु प्रतिवादी उसे जबरन बेदखल करना चाहते है। दिनांक 01.05.2016 को उनके विधिक प्रतिनिधि

Signature Not Verified
Digitally signed by Gaurav Kumar Mittal
Date: 2020.12.22 16:59:36 IST
Reason: SelfAttested
Scanned with CamScanner

ने वादी को धमकी दी कि हम तुम्हे इस भूमि से बेदखल करवाकर रहेंगे अत एव वादी खिलाफ प्रतिवादी स्थायी निषेधाज्ञा जारी करवा पाने का अधिकारी एवं नालिशी है।

10. यह वाद कारण दिनांक 01.05.2016 को वादी को प्रतिवादी द्वारा धमकी देने व दिनांक 06.05.2016 को नोटिस देने के फलस्वरूप ग्राम घटटी उर्फ महताबपुरा तहसील किशनगंज के उत्पन्न हुआ।

11. यह कि वाद का मूल्यांकन विवादित आराजी के लगान का 60 गुना कायम किया जाकर वाद पत्र उचित न्याय शुल्क पर अवधि मध्य पेश है।

12. यह कि विवादित आराजी ग्राम घटटी उर्फ महताबपुरा तहसील किशनगंज जिला बारां मे स्थित है। इसलिए माननीय न्यायालय को उक्त वाद पत्र सुनने का क्षैत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार प्राप्त है।

प्रार्थना

अतः वाद पत्र पेश कर निवेदन है कि बहक वादी प्रतिवादी के विरूद्ध निम्न य की डिक्री सादिर फरमायी जावे::–

1. कि वादपत्र की चरण क्रम 1 मे वर्णित विवादित आराजीयात् वाके ग्राम घटटी उर्फ महताबपुरा तहसील किशनगंज जिला बारां मे भी आराजी ख.नं0 80/31 रकबा 11 बीघा मे 8 बीघा 10 बिस्वा दक्षिणी तरफ की पर वादी को खातेदार कृषक घोषित किया जावे।

2. कि प्रतिवादी को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि प्रतिवादी, वाद पत्र की चरण क्रम 1 मे वर्णित विवादित आराजी ग्राम घटटी उर्फ महताबपुरा तहसील किशनगंज की आराजी ख0न0 80/31 रकबा 11 बीघा मे से 8 बीघा 10 बिस्वा दक्षिणी तरफ की पर प्रार्थी / वादी के कब्जे काश्त मे किसी प्रकार की मदाखलत न स्वयं करे न अपने प्रतिनिधियों से करावे तथा प्रार्थी/वादी को विवादित आराजी पर शांती पूर्वक काश्त बना रहने देवे।

3. कि खर्चा मुकदमा व अन्य न्यायोचित सहायता जो भी उचित हो वादीनी को प्रतिवादीगण से दिलायी जावे।

रिपोर्ट सरिस्ता ली जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया जाकर प्रतिवादी की तलबी हेतु नोटिस सम्मन जारी किये नियत तिथि को पेरोकार ...कार प्रतिवादी स्वयं उपस्थित जवाब इस आशय का पेश किया –

1. दावे मे वर्णित मद संख्या 1 स्वीकार है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Gaurav Kumar Mittal
Date: 2020.12.22 16:59:36 IST
Reason: SelfAttested

दावे मे वर्णित मद संख्या 2 स्वीकार है।

दावे मे वर्णित मद संख्या 3 अस्वीकार है।

दावे मे वर्णित मद संख्या 4 स्वीकार है।

दावे मे वर्णित मद संख्या 5 आंशिक स्वीकार है।

दावे मे वर्णित मद संख्या 6 स्वीकार है।

दावे मे वर्णित मद संख्या 7 अस्वीकार है।

दावे मे वर्णित मद संख्या 8 अस्वीकार है।

दावे मे वर्णित मद संख्या 9 अस्वीकार है।

दावे मे वर्णित मद संख्या 10 अस्वीकार है।

दावे मे वर्णित मद संख्या 11 तहरीरी कानूनी औपचारिकता है।

दावे मे वर्णित मद संख्या 12 तहरीरी कानूनी औपचारिकता है।

विशेष कथन है कि वाद पत्र मे वर्णित ग्राम घटटी उर्फ महताबपुरा की भूमि ख0न0 /31 रकबा 11 बीघा मे से 8–10 बीघा सुखलाल मण्डल पुत्र लक्खी मण्डल के हक भूमि हीन 29.10 बीघा भूमि गैरखातेदारी मे दर्ज है न्यायालय तहसीलदार किशनगंज प्रकरण 56/14 वसीयत नामा निर्णय दिनांक 20.06.016 से वसीयत ग्रहिता मनोरंजन मण्डल सुखलाल मण्डल के नाम भूमि दर्ज करने का निर्णय पारित हो चुका है। विक्रय खातेदारी भूमि का हुआ है। अतः वाद खारिज योग्य है।

आशय की तनकी कायम की गई–

1. आया कि ग्राम घटटी उर्फ महताबपुरा तहसील किशनगंज के ख0न0 80/31 रकबा 11 बीघा भूमि स्थित है।

वादी

2. आया कि सुखलाल मण्डल पुत्र लक्ष्मीकांत मण्डल के पिता का नाम नीलाम्बर मण्डल भी बोलते है तथा वर्तमान समय मे सुखलाल मण्डल पुत्र लक्ष्मीकांत मण्डल उर्फ नीलाम्बर मण्डल को कोई पता नही है तथा उसके जीवित होने की कोई सम्भावना नही है।

वादी

3. आया कि विवादित भूमि सुखलाल मण्डल ने वादी को दिनांक 04.04.1978 को 5000/00 अक्षरे पांच हजार रुपये मे जरिये रजिस्टर्ड बैचान नामे से बेचान करके कब्जा दे दिया था तभी से वादी इस भूमि पर काबिज चला आ रहा है।

वादी

Signature Not Verified

Digitally signed by Gaurav Kumar Mittal
Date: 2020.12.22 16:59:36 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

प्र0 सं0 56/14 वसीयत

मण्डल पुत्र सुखलाल मण्डल के नाम भूमि दर्ज करने का निर्णय पारित हो चुका है। विक्रय गैरखातेदारी भूमि का किया है। अतः वाद खारिज योग्य है।

प्रतिवादी

अनुतोष।

तनकीवार विश्लेषण इस प्रकार है–

1. इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादी के जिम्मे था। वादी द्वारा पेश रिकॉड से स्पष्ट है कि ग्राम घटटी उर्फ महताबपुरा तहसील किशनगंज के ख0न0 80/31 रकबा 11 बीघा स्थित है। अतः उक्त तनकी वादी के पक्ष मे निर्णित की जाती है।
2. इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादी के जिम्मे था। वादी के बयानो एवं pw-2 नारायण pw-3 रवि के बयानो से वादी इस तनकी को अपने पक्ष के सिद्ध करवाने के सफल रहा अतः यह तनकी वादी के पक्ष मे सिद्ध की जाती है।
3. इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादी के जिम्मे था। वादी द्वारा उपपंजीयन किशनगंज मे करवायी गई रजिस्ट्री दिनांक 04.04.1978 की फोटोप्रति पेश की अतः वादी इस पक्ष उक्त तनकी को वादी अपने पक्ष मे सिद्ध करवाने मे सफल रहा है अतः तनकी वादी के पक्ष मे सिद्ध की जाती है।
4. उक्त तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादी पर था प्रतिवादी द्वारा अपने पक्ष मे कोई साक्ष्य सबुत पेश नही किया जिससे उक्त तनकी को प्रतिवादी अपने पक्ष सिद्ध करवाने मे असफल रहा है। अतः उक्त तनकी प्रतिवादी के विरूद्ध सिद्ध की जाती है। वादी अधिवक्ता ने साक्ष्यवादी मे pw-1 तपन बनर्जी pw-2 नारायण pw-3 रवि के बयान लेखबद्ध करवाये दौराने साक्ष्य तपन बनर्जी ने जाहिर किया कि

मैने वाद न्यायालय मे प्रस्तुत कर रखा है जिसके समर्थना मे मेरे मुख्य परीक्षा के रूप मे आज दिनांक 14.06.2019 को पेश किया है। जिसके समर्थन मे निम्न दस्तावेजों को प्रदर्श हूँ। शपथ पत्र मे जो तथ्य लिखे हुये है। जो मेरे इसमे सत्य है। जो कोई मिथ्या नही है। मेरे द्वारा उक्त वाद मे प्रस्तुत दस्तावेज नोटिस जरिये जिला कलक्टर महोदय वारां दिनांक 05.05.2015 प्रदर्थ p-1 है। असल वालू जमाबन्दी ग्राम घटटी खाता सं0 290 ख0सं0 80/31,86/14,87/1 है जो प्रदर्थ p-1 है। असल दस्तावेज पेश करने बावत् मुख्य परीक्षा रिर्जव की जाती है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Gaurav Kumar Mittal
Date: 2020.12.22 16:59:36 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

[illegible] मुख्य परीक्षा मे वादी अधि0 के अनुरोध करने पर दस्तावेजो को प्रदर्श करवाने की अनुमति दी विवादित आराजी की रजिस्ट्री सुखलाल मण्डल ने दिनांक 14.04.1978 को उपपंजीयक किशनगंज के यहां करवायी जो प्रदर्श p-3 है असल नकल जिसकी फोटोप्रति पत्रावली मे प्रदर्श p3a है। असल नकल निर्णय ACJM शाहबाद का निर्णय दिनांक 29.03.99 प्रदर्श p-4 है। जिसकी फोटोप्रति p 4a पत्रावली मे संलग्न है। न्यायालय उपखण्ड शाहबाद पत्रावली सं0 139/85 सुखलाल बनाम तपन बनर्जी का निर्णय दिनांक 21.05.94 मय डिक्री है। जो प्रदर्श p-5 है। अब मैने जो वाद पेश किया है। जिसको मेरे जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र एवं कब्जे के आधार पर खाते दर्ज करवाना चाहता हूं। एव प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे।

वादी अधिवक्ता और साक्ष्य पेश नही करना चाहता वादी अधिवक्ता की साक्ष्य वादी समाप्त की जाती है। प्रतिवादी को साक्ष्य प्रतिवादी मे पर्याप्त अवसर दिये जाने के उपरान्त भी प्रतिवादी ने कोई साक्ष्य सबूत पेश नही की प्रतिवादी की साक्ष्य समाप्त की गई। वादी अधि0 की एकपक्षीय बहस सुनी गई। दौराने बहस वादी अधि0 ने वादपत्र मे अंकित बिन्दूओं को दोहराया और निवेदन किया कि रजिस्टर्ड बेनाम से खरीदी आराजी का खातेदार घोषित किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड मे अंकन किया जावे। पत्रावली का अवलोकन किया गया पत्रावली मे उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड का गहनतापूर्वक अध्ययन किया गया। अद्यतन विवेचनानुसार वादी का वादपत्र स्वीकार योग्य है। अतः इस आशय का निर्णय पारित किया जाता है कि–

–क्रियात्मक आदेश:–

वाकेग्राम घटटी उर्फ महताबपुरा तहसील किशनगंज मे स्थित आराजी खसरा0 80/31 रकबा 8 बीघा 10 बिस्वा दक्षिणी पर वादी को खातेदार घोषित किया जाता है। प्रतिवादी का नाम राजस्व रिकॉर्ड से हटाया जाकर वादी का नाम वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड मे अंकन के आदेश तहसीलदार किशनगंज को दिये जाते है। प्रतिवादी को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वादी के कब्जे कास्त मे किसी प्रकार की मदाखलत न स्वयं करे न अपने किसी प्रतिनिधी से करावे। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो। निर्णय आज दिनांक 30.08.2019 को सरेइजलास सुनाया गया।

(चन्दन दुबे)
उपखण्ड अधिकारी

Signature Not Verified

Digitally signed by Gaurav Kumar Mittal
Date: 2020.12.22 16:59:36 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner